न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 69/17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामचंद्र पिता भंवरलाल बडवा आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रेवत बाई पत्नि भंवरलाल बडवा आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. पुष्पा पुत्री भंवरलाल बडवा आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कन्हैयालाल पिता रामचंद्र बडवा आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. उमा देवी पुत्री रामचंद्र बडवा आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. कुसुमलता पुत्री रामचंद्र बडवा आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. कल्याण सिंह पिता शंकरलाल बडवा आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. नाथुलाल पिता शंकरलाल जाट आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. संपत पिता अनोप सिंह बडवा आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. गोवर्धन सिंह पिता रामसिंह बडवा आयु वयस्क निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन – अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 08.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प झडोल मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो कि कृषि आराजियात ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल के बेरून हल्का आबादी मे स्थित खाता संख्या 665 में अंकित आराजी संख्या 2004 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 2006 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 2179 रकबा 0.38 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.69 हे0, व खाता संख्या 663 मे अंकित आराजी संख्या 220 रकबा 0.03 हे0, आराजी संख्या 2003 रकबा 0.48 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हे0, तथा 661 में अंकित आराजी संख्या 2008 रकबा 0.29 हे0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.29 हे0 भूमीयां स्थित है। प्रमाण मे वर्तमान जमाबंदी एंव नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने की वजह से प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात में मवेशी चराने, घास काटने, फसल काश्त करने मे आए दिन विपक्षीगण से विवाद बना रहता है, तथा विपक्षीगण आए दिन प्रार्थीगण कि कृषि आराजियात मे दखल अंदाजी करते रहते हैं। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवाया परंतु विपक्षीगण नही मान रहे है। जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् कहा पंरतु विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे व अंतिम बार प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को उनकी कृषि आराजियात की पत्थरगढी करवाने बाबत् दिनांक 25.05.2017 को कहा तो विपक्षीगण इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

स्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 26.05.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम झडोल पटवार हल्का झडोल के बेरून हल्का आबादी मे स्थित खाता संख्या 665 में अंकित आराजी संख्या 2004 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 2006 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 2179 रकबा 0.38 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.69 हे0, व खाता संख्या 663 मे अंकित आराजी संख्या 220 रकबा 0.03 हे0, आराजी संख्या 2003 रकबा 0.48 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हे0, तथा 661 में अंकित आराजी संख्या 2008 रकबा 0.29 हे0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.29 हे0 भूमीयां स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 690/– अक्षरे छः सौ नब्बे रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
08/6/17